रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति (लि0)

क्षेत्रीय कार्यालयः
समिति भूमि, ग्राम (छिजारसी)
प्रताप विहार, राष्ट्रीय मार्ग–24
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

(पंजीकरण – 1616)

पत्राचार कार्यालय–
बी–23/ए. प्रथम तल, सैक्टर–62,
नौएडा–201301
फोन–0120–4222407
Email : rakshavigyansahakariawas@gmail.com

दिनांक 17.06.2022

सामान्य निकाय की बैठक

रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति लि०, गाजियाबाद की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 03.07.2022 को अपराहन 3 बजे (एवियर एजुकेशनल हब, सी- 56, ए/ 20 सेक्टर- 62 उ० प्र० 201301) आहूत की गयी है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उ० प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा धारा-8 के अंतर्गत दिए गए आदेश के बाद की परिस्थिति पर निर्णय लिए जायेंगे। बैठक का एजेंडा निम्न प्रकार है:-

1. समिति की विशेष सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 13.10.2019 की पुष्टि पर विचार।

2. उ० प्र० भू- सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पत्र संख्या 6724 दिनांक 11.06.2022 द्वारा धारा -8 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर विचार।

3. रेरा आदेश के उपरांत समिति के सदस्यों द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बकाया धनराशि 9 करोड़ रुपये (रु० 90000000/-) जमा कर स्वीकृत शमन मानचित्र प्राप्त कर निर्माण पूर्ण करने की स्थिति पर विचार।

4. अन्य संस्था व बिल्डर फर्म जो रेरा कमेटी द्वारा शर्तों के अनुरूप गा० वि० प्रा० की बकाया धनराशि 9 करोड़ रुपये जमा कर स्वीकृत मानचित्र प्राप्त कर फ्लैटों का निर्माण पूर्ण करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

सचिव
रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी
आवास समिति लि०, गाजियाबाद

5. वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019, व 2020 एवं 31 मार्च 2021 तक स्पेशल ऑडिट पूर्ण की गयी रिपोर्ट पर विचार ।

6. अन्य प्रस्ताव सभापति महोदय की अनुमति से ।

<u>अति आवश्यक सूचना</u>

समिति के सभी सदस्यों को सूचित करते हुए कहना है कि प्रत्येक सदस्य को प्रस्तावों पर विचार करना है ; क्योंकि रेरा के आदेशानुसार अब रेरा द्वारा गठित समिति के निर्देशन में ही समिति की प्रबंध कमेटी को कार्य करना होगा । आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप सभी प्रस्ताव संख्या - 03 व 04 में से किसी एक का चयन करें और जो सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं वो सभी सदस्य अपनी सहमति ई- मेल द्वारा दिनांक 29.06.2022 तक अवश्य भेजें । आपकी सहमति समिति की प्रबंध कमेटी द्वारा रेरा कमेटी को दी जाएगी । आप सभी के पास यह आखिरी मौका है । आपकी सहमति अनिवार्य है ; जिससे आपके द्वारा फ्लैट के सापेक्ष जमा धनराशि को सुरक्षित किया जा सके और समिति की प्रबंध कमेटी रेरा द्वारा गठित कमेटी के निर्देशन में फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण करा सके ।

सचिव
रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी
आवास समिति लि०, गाजियाबाद

रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति (लि0)

क्षेत्रीय कार्यालयः
समिति भूमि, ग्राम (छिजारसी)
प्रताप विहार, राष्ट्रीय मार्ग–24
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

(पंजीकरण – 1616)

पत्राचार कार्यालय–
बी–23/ए, प्रथम तल, सैक्टर–62,
नौएडा–201301
फोन–0120–4222407
Email : rakshavigyansahakariawas@gmail.com

<u>प्रस्ताव संख्या -1</u>

समिति की विशेष सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 13.10.2019 की पुष्टि पर विचार।

<u>निर्णय</u>

समिति सचिव महोदय ने पिछले आम सभा के बैठक दिनांक 13 .10 .2019 के प्रस्तावों को पढ़कर सुनाया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों दवारा सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर सहमति जतायी ।

<u>प्रस्ताव संख्या -2</u>

उ० प्र० भू -सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पत्र संख्या -6724 दिनांक 11.06.2022 दवारा धारा -8 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर विचार।

<u>निर्णय</u>

समिति सचिव श्री संदीप सिंह दवारा विशेष आम सभा की बैठक में उ० प्र० भू -सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पत्र संख्या -6724 दिनांक 11.06.2022 दवारा धारा -8 के अंतर्गत दिए गए आदेश के अंतर्गत समिति भूमि के निर्माणधीन फ्लैटों का कार्य बिल्डर फर्म दवारा पूर्ण न करने के कारण बिल्डर फर्म (अंतरिक्ष बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड) एवं रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड का पंजीकरण रेरा दवारा निरस्त कर दिया गया। जिसका मुख्य कारण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बकाया शमन शुल्क धनराशि समिति सदस्यों से प्राप्त न होने के कारण समिति दवारा गा० वि० प्रा० में जमा नहीं की गयी थी। जिस वजह से शमन मानचित्र विगत सात वर्षो में प्राप्त नहीं हो सका था। जिसके कारण बिल्डर फर्म रेरा के दवारा निर्धारित समय में फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका । बैठक में विचार विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि। रेरा दवारा गठित कमिटी के दिशा निर्देशन में सदस्यों को फ्लैट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रबंध कमेटी/ सचिव आवश्यक कार्यवाही करे । जिसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया।

सचिव
रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी
आवास समिति लि०, गाजियाबाद

प्रस्ताव संख्या -3

रेरा आदेश के उपरांत समिति के सदस्यों दवारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बकाया धनराशि रूपए नौ करोड़ (रु० 90000000/-) जमा कर स्वीकृत शमन मानचित्र प्राप्त कर निर्माण पूर्ण करने की स्थिति पर विचार।

निर्णय

रेरा के आदेश दिनांक 11 .06 .2022 के उपरांत समिति का शमन मानचित्र गा० वि० प्रा० से निर्गत कराने के सम्बन्ध में समिति सदस्यों दवारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बकाया धनराशि रूपए नौ करोड़ (रु० 90000000/-) जमा करने के सम्बन्ध में बैठक पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं समिति की ई-मेल पर सदस्यों दवारा प्रेषित अपनी सहमति में कोई भी सदस्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के शमन शुल्क की बकाया धनराशि आज की परिस्थिति में देने को तैयार नहीं हुआ। उपस्थित सदस्यों का कहना है कि शमन मानचित्र प्राप्त होने के उपरांत ही अपनी बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए सहमति जताई। उपस्थित सदस्यों दवारा सर्वसमिति से अन्य विकल्प पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या -4

अन्य संस्था व बिल्डर फर्म जो रेरा कमेटी दवारा शर्तो के अनुरूप गा० वि० प्रा० की बकाया धनराशि रूपए नौ करोड़ जमा कर स्वीकृत मानचित्र प्राप्त कर फ्लैटों का निर्माण पूर्ण करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय

बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं समिति की ई-मेल पर सदस्यों दवारा प्रेषित अपनी सहमति में किसी भी सदस्य दवारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बकाया धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा नहीं करने के सम्बन्ध में मंतव्य देने के फलस्वरूप केवल एक ही विकल्प बचता है कि रेरा कमेटी की शर्तो के अनुरूप ऐसी संस्था / बिल्डर फर्म जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बकाया धनराशि की किश्त नौ

सचिव
रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी
आवास समिति लि०, गाजियाबाद

करोड़ रूपए जमा कर स्वीकृत मानचित्र प्राप्त कर फ्लैटों का निर्माण पूर्ण कर सके ; ऐसी फर्म / संस्था का चयन कर कार्य करने की रेरा द्वारा गठित कमेटी अनुमति देती है तो समिति सदस्य / प्रबंध कमेटी उक्त फर्म को अपना सहयोग देने पर बैठक में विचार विमर्श किया गया । विचार विमर्श के उपरांत सर्वसमति से यह निर्णय लिया गया कि रेरा दवारा गठित कमेटी समिति के फ्लैटों के निर्माण हेतु जिस किसी संस्था /फर्म का चयन करेगी उनके पक्ष में समिति सदस्य / प्रबंध कमेटी की सहमति रहेगी । उपरोक्त सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु समिति की प्रबंध कमेटी / सचिव को अधिकृत किया गया ।

<u>प्रस्ताव संख्या -5</u>

वर्ष 2016 ,2017 ,2018 ,2019 , व 2020 एवं 31 मार्च 2021 तक स्पेशल ऑडिट पूर्ण की गयी रिपोर्ट पर विचार ।

<u>निर्णय</u>

समिति के सचिव महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया कि वर्ष 2016 ,2017 ,2018 ,2019 , व 2020 कि स्पेशल ऑडिट पूर्ण करायी गई थी । क्योकि पिछली प्रबंध कमेटी द्वारा समिति का कोई दस्तावेज एवं बैंक एकाउंट का ब्यौरा वर्तमान प्रबंध कमेटी को नहीं उपलब्ध कराया था । जिसके लिए वर्तमान कमेटी ने समिति के दस्तावेज एवं बैंक एकाउंट के लिए साकेत कोर्ट नई दिल्ली में सितम्बर 2017 में वाद दाखिल किया था । परन्तु अभी तक कोई आदेश / कागजात प्राप्त नहीं हुए है । 31 मार्च 2020 तक का स्पेशल ऑडिट पूर्ण होने के उपरांत कमेटी ने वित्तीय वर्ष 2020 -2021 तक का भी ऑडिट करा लिया है । ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी को बैठक में प्रदिर्शित किया गया ।

<u>प्रस्ताव संख्या -6</u>

अन्य प्रस्ताव सभापति महोदय की अनुमति से ।

<u>निर्णय</u>

अन्य कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने कि वजह से सभापति महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया ।

सचिव
रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी
आवास समिति लि०, गाजियाबाद